कार्यालयः मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

वाद सं0 50/2018-19 प्राधिकरण बनाम् श्री सुदीप अग्रवाल, श्री राधा गेटवे कॉलोनी, मथुरा गोवर्धन मार्ग श्री राधा गुलमोहर के सामने मथुरा द्वारा प्रस्तुत श्री राधा गुलमोहर फेस-2 तलपट मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 01.03.2021 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान किये जाने के क्रम में मै0 एस0जेपी0ग्लोवल लि0 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीरज शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा खसरा नं0 30(पार्ट) से 34(पार्ट), 35, 56, 57(पार्ट) से 59(पार्ट), 60, 61, 62, 63, 64(पार्ट), 64/1088(पार्ट), 65 से 68, 69(पार्ट) से 71(पार्ट), 133(पार्ट) व 134(पार्ट) मौजा सतोहा असगरपुर एवं खसरा नं0 164(पार्ट), 172 से 174, 175(पार्ट), 188(पार्ट) से 191(पार्ट), 197 से 200, 201(पार्ट) से 206(पार्ट) व 208(पार्ट) मौजा नगला सदौला, जिला-मथुरा द्वारा विकास शुल्क रु0 4,96,16,372.00, शमन शुल्क रु0 15,01,814.00, निरीक्षण शुल्क रु0 14,48,879.00 एवं मानचित्र/विकास अनुज्ञा शुल्क रु0 73,937.00 अर्थात् कुल धनराशि रु0 5,26,41,002.00 (रुपये पॉच करोड़ छब्बीस लाख इकतालीस हजार दो मात्र) लगाया गया है, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा विकास शुल्क रु0 83,44,394.00, शमन शुल्क रु0 15,01,814.00, निरीक्षण शुल्क रु0 14,48,879.00 एवं मानचित्र/विकास अनुज्ञा शुल्क रु0 73,937.00 अर्थात् कुल धनराशि रु0 1,13,69,024.00 दिनांक 22.03.2021 को प्राधिकरण कोष में जमा कर दिये गये है । जिसकी पुष्टि लेखानुभाग द्वारा पृष्ठ संख्या-18 पर दिनांक 27.03.2021 कर दी गयी है । लेबर सेस के मद में आवेदक द्वारा बैक ड्राफ्ट संख्या "019559" धनराशि रु0 61,898.00 (रु0 इकसठ हजार आठ सौ अठानवें मात्र) "उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के पक्ष में प्रस्तुत कर दिया गया है । मानचित्र में लगायी गयी शर्ते मानचित्र के अग्रभाग पर चस्पा कर दी गयी है एवं वाद निम्न शर्तो के अनुसार शमन किया जाता है ।

1. मानचित्र स्वीकृति भू स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी भूस्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त होना मान्य होगा।
2. प्रस्तावित विन्यास क्षेत्र का अनुरक्षण आवेदक द्वारा तब तक किया जाता रहेगा, जब तक सम्बन्धित नगर पालिका/सक्षम संस्था को हस्तान्तरण नहीं कर दिया जाता एवं उक्त हस्तान्तरण की जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता की होगी।
3. आवेदक को शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
4. आवेदक को शासनादेश के अनुसार नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
5. लोक निर्माण विभाग, मथुरा द्वारा दी गयी अनापत्ति में दी गयी शर्तो का पालन करना होगा।
6. उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के नियमुनसार प्राविधान करना होगा।
7. भविष्य में बढे हुऐ विकास शुल्क अथवा अन्य शुल्क की मांग की जाती है तो वह आवेदक/विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष मे जमा कराना होगा।
8. भविष्य में प्राप्त होने वाले शासनोदशों/बोर्ड बैठकों के निर्णयों का अनुपालन करना होगा।
9. पृथक-पृथक भूखण्डों पर निर्माण हेतु अलग से मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
10. भविष्य में विस्तार/नियोजन हेतु छोडी गयी भूमि के मानचित्र स्वीकृति में 15 प्रतिशत पार्क छोडते हुये शेष भूमि पर ही भू आच्छादन व एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा एवं तत्समय प्रभावी विकास शुल्क व अन्य शुल्क भी देय होगा।
11. चकरोड एवं रोड वाइडनिंग हेतु छोडी गयी भूमि का विकासकर्ता को अपनी लागत पर स्वयं विकास करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। चकरोड एवं रोड वाइडनिंग की भूमि को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना आवेदक/विकासकार्ता का दायित्व होगा।
12. स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में श्रम विभाग के नियमों/अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में श्रम विभाग के नियमों/शासनादेशों का पालन करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
13. प्रस्तावित मानचित्र के अुनसार विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
14. ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण स्वीकृत कालोनी श्री राधा गुलमोहर फेस-2 के विकास के समानुपातिक करना होगा।
15. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या 376/एम/2010-11 में श्री राधा गेटवे के नाम से स्वीकृत तलपट मानचित्र निरस्त मान्य होगा।

उक्त वाद उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत प्रशमन किया जाता है।

यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का प्रमाण नही होगी ।

उपाध्यक्ष
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा।